एक नजर में

चार दुकानों में भीषण आग, लाखों का सामान खाक

इंदौर. बेटमा क्षेत्र के अंबेडकर चौराहे पर देर रात भीषण आग ने एक साथ चार दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया. अचानक उठी लपटों से पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. फायर ब्रिगेड की तीन दमकलों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक दुकानों में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया. जानकारी के मुताबिक आधी रात करीब 12 बजे डिस्पोजल, टायर, ऑटो पार्ट्स और गैरेज की दुकानों से धुआं उठना शुरू हुआ. देखते ही देखते आग ने भयावह रूप ले लिया. सूचना मिलते ही बेटमा फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची, लेकिन लपटें बढ़ने पर पीथमपुर से भी दमकल को बुलाना पड़ा. करीब एक घंटे की मशक्कत और पांच हजार लीटर से अधिक पानी की बौछार के बाद आग पर काबू पाया जा सका. फायर ब्रिगेड अधिकारियों का कहना है कि आग लगने की वजह बिजली तार में शॉर्ट सर्किट होना प्रतीत हो रही है. आग बुझाने में पुलिस और स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया. हादसे में दुकानदारों का लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है.

भ्रूण हत्या जैसे पाप घोर निंदनीय

इंदौर. सनातन धर्म, भारतीय संस्कृति एवं वैदिक परंपरा को समृद्ध बनाने की दिशा में तर्पण जैसे अनुष्ठान अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रासंगिक हैं. पूर्वजों के प्रति श्रद्धा को व्यक्त करने का शास्त्रोक्त प्रावधान केवल भारत भूमि पर ही मिलता है, अन्यत्र कहीं नहीं. भ्रूण हत्या जैसे पाप घोर निंदनीय तो है ही, शास्त्रों में भी इस पाप से उन्मोचन का कोई प्रावधान नहीं है, मतलब यह कि यदि हम भ्रूण हत्या में सहभागी हैं तो हमारे शास्त्र और देवता भी हमें माफ नहीं करेंगे. ये विचार हैं महामंडलेश्वर स्वामी राधे राधे बाबा के, जो उन्होंने एयरपोर्ट रोड, पीलियाखाल स्थित हंसदास मठ पर आश्रम के महामंडलेश्वर श्रीमहंत रामचरणदास महाराज एवं महामंडलेश्वर महंत पवनदास महाराज के सानिध्य तथा तिरुपति बालाजी से आए आचार्य जितेन्द्र महाराज के मार्गदर्शन में श्रद्धा सुमन सेवा समिति द्वारा आयोजित नि:शुल्क तर्पण अनुष्ठान में आए साधकों को भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ दिलाते हुए व्यक्त किए. इसके पूर्व भागवताचार्य पं. पुष्पानंदन पवन तिवारी ने 500 से अधिक साधकों को आज तृतीया और चतुर्थी की संयुक्त तिथि के लिए तर्पण कराया. उन्होंने बताया कि चतुर्थी और पंचमी का मिश्रित श्राद्ध 11 सितम्बर को हंसदास मठ पर सुबह 8 बजे से होगा. प्रारंभ में संस्था की ओर से हरि अग्रवाल, राजेन्द्र सोनी, डॉ. चेतन सेठिया, सूरजसिंह राठौड़, हरिनारायण विजयवर्गीय, जगमोहन वर्मा, मुरलीधर धामानी, महेन्द्र विजयवर्गीय आदि ने वैदिक मंगलाचरण के बीच अतिथियों का स्वागत किया। असमिति के अध्यक्ष हरि अग्रवाल एवं राजेन्द्र गर्ग ने बताया कि श्राद्ध पक्ष में 21 सितम्बर तक प्रतिदिन सुबह 8 से 10 बजे तक तर्पण अनुष्ठान होगा. आम श्रद्धालु यहां आकर नि:शुल्क तर्पण कर सकेंगे. तर्पण मे प्रयुक्त सभी सामग्री की व्यवस्था समिति द्वारा की जा रही है.

भागवत कथा का संगीतमय आयोजन आज से

इंदौर. श्री नगर चित्तौड़ा महाजन वैश्य समाज की मेजबानी में श्राद्ध पक्ष में 11 से 18 सितम्बर तक वृंदावन धाम डबरा के कथा भूषण आचार्य पं. कौशल किशोर शास्त्री के श्रीमुख से भागवत ज्ञान यज्ञ का दिव्य और भव्य संगीतमय आयोजन विश्वकर्मा नगर, अन्नपूर्णा क्षेत्र स्थित समाज के मांगलिक भवन पर प्रतिदिन दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक होगा. अनुष्ठान का शुभारंभ गुरुवार को सुबह 11 बजे विश्वकर्मा नगर से शोभायात्रा के साथ होगा. आयोजन समिति के संरक्षक राजेन्द्र महाराज एवं प्रहलाद दास मेहता ने बताया कि समाज द्वारा भागवत ज्ञान यज्ञ का यह लगातार 30वां वर्ष है. ज्ञान यज्ञ में इंदौर के अलावा चित्तौड़ा बाहुल्य सोनकच्छ, बागली, देवास, कम्पेल, खुड़ैल, राजस्थान के उदयपुर एवं महाराष्ट्र के जलगांव, भुसावल सहित देशभर से श्रद्धालु आएंगे. समाजसेवी जगदीश बद्रीनारायण पाराशर मुख्य यजमान एवं अतुल-अक्षय मेहता छप्पन भोग के यजमान मनोनीत किए गए हैं. प्रतिदिन प्रसाद वितरण एवं आरती के लिए जगदीश भगवानदास महाजन, राजेन्द्र- स्व. महेन्द्र महाजन, संस्था रंग तरंग, जितेन्द्र रमेशचंद्र हेतावल, विमल मनोहरलाल हेतावल, प्रकाश मनोहरलाल गुप्ता यजमान बनाए गए हैं. कथा का शुभारंभ शोभायात्रा के साथ होगा. समाजबंधु परंपरागत परिधान में शोभायात्रा में शामिल होंगे. शोभायात्रा 11 सितम्बर को विश्वकर्मा नगर स्थित हीरालाल शंकरलाल पाराशर के निवास से सुबह 11 बजे प्रारंभ होकर कथा स्थल पहुंचेंगी. कथा प्रसंगानुसार प्रमुख उत्सव भी मनाए जाएंगे.

नर्सरी कक्षा एवं भोजनशाला का शुभारंभ

इंदौर. सराफा विद्या निकेतन के स्वर्ण जंयती वर्ष के उपलक्ष्य में केशरबाग रोड स्थित नालंदा परिसर में सराफा विद्या निकेतन की तृतीय शाखा में नवनिर्मित एवं सुसज्जित नर्सरी कक्षा तथा नवीन भोजनशाला (डायनिंग हाल) का शुभारंभ इंदौर चांदी, सोना जवाहरात, तोलकांटा पारमार्थिक ट्रस्ट के अध्यक्ष महेन्द्र पाटीदार एवं इंदौर चांदी सोना व्यापारी एसो. के अध्यक्ष हुकम सोनी के मुख्य आतिथ्य में किया गया. इस अवसर पर संस्था के मंत्री प्रमोद नागर, ट्रस्ट के सचिव अजय नीमा, कोषाध्यक्ष सतीश नीमा, संयोजक गोपाल नीमा, एसो. के मंत्री बसंत सोनी, कोषाध्यक्ष राजेश कोठाना ने अतिथियों का स्वागत किया. एसो. के अन्य पदाधिकारी अशोक शर्मा, ईश्वरचंद जैन, कपिल शर्मा, संदीप महाजन, मनोज काठियावाड़ी एवं संस्था के प्राचार्य आलोक दवे, सरिता शर्मा एवं अंकिता मिश्रा भी उपस्थित थे.

समता सैनिक दल की बैठक संपन्न

इंदौर. भोपाल में समता सैनिक दल, मध्य प्रदेश, राज्य कमेटी कि बैठक डॉ. आंबेडकर नगर (माता मन्दिर) पर सम्पन्न हुई. बैठक में सभी राज्य पदाधिकारी उपस्थित थें. बैठक की अध्यक्षता केन्द्रिय कमेटी से उपस्थित मार्शल किशन बोथे ने की, केन्द्रिय पदाधिकारी मार्शल किशन बोथे एवं प्रदेश संघठक मार्शल प्रेम सिंह बौध्द की अगुवाई में बैठक संपन्न हुई. बैठक में संगठन को आगे बढ़ाने जिला स्तर पर शाखाऐं खोलनें संभागिय स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त किए गए. नई विभागिय टीम बनाई गई परानी टीम में कुछ अघतन किए गए, जिसमें प्रमुख तौर पर राज्य संघठक प्रेम सिंह बौध्द, सह. संगठक सिध्दार्थ बागडे, निमंत्रक विशाल कड़वे, महिला रेजिमेंट प्रमुख अनीता परतवाघ. राज्यकोष प्रमुख रामद्याल बौध्द, राज्य ट्रेनिंग आफिसर मोहन इंगले, सहायक ट्रेनिंग आफिसर पंजाब गजभिए एवं सुरेश बौध्द, मीडिया प्रभारी मंगेश गजभिए, सहायक मिडिया प्रभारी सुनील वाघ, राज्य प्रचारक मोहर सिंह बौध्द, सहायक राज्य प्रचारक सुमेध रामटेके, संभागीय प्रभारी नियुक्त किय गए,

शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग किसी भी हालत में नहीं हो : कलेक्टर

जिला स्तरीय एंटी रैगिंग समिति की बैठक सम्पन्न

इंदौर. कलेक्टर शिवम वर्मा की अध्यक्षता में आज यहां जिला स्तरीय एंटी रैगिंग समिति की बैठक कलेक्टर कार्यालय में आयोजित की गई. इस बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि जिले के समस्त शैक्षणिक संस्थानों में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए जिससे कि रैगिंग की घटना किसी भी हालत में नहीं हो. सभी शैक्षणिक संस्थान अपने यहां अध्ययन का अनुकूल वातावरण बनाए रखें.

बैठक में एडीएम रोशन राय, कलेक्टर कार्यालय में उच्च शिक्षा के नोडल अधिकारी डॉ. एम.डी. सोमानी, जिला स्तरीय एंटी रैगिंग समिति के सदस्य महेंद्र सोनगिरा सहित अन्य सदस्य मौजूद थे. बैठक में कलेक्टर श्री वर्मा ने निर्देश दिये कि हॉस्टल, कैंटीन तथा अन्य स्थानों पर सतत निगरानी की व्यवस्था रखी जाए. सभी जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच नियमित रूप से स्वस्थ संवाद और संपर्क बनाए रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए. उन्होंने सभी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में सीनियर और जूनियर छात्रों की कमेटी भी बनाए जाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि सभी हॉस्टल्स और अन्य स्थानों पर प्रकाश, शौचालय, पेयजल आदि की मूलभूत सुविधाएं भी सुनिश्चित की जाए. हॉस्टल के बच्चों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जाए. हॉस्टल में स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण बनाए रखा जाए. बैठक में श्री सोमानी ने केंद्र और राज्य शासन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों के संबंध में विस्तार से जानकारी दी।

छात्र-छात्राओं से निरंतर संवाद करें

श्री वर्मा ने निर्देश दिये कि संस्थान के छात्र-छात्राओं से विशेष रूप से कनिष्ठ छात्र-छात्राओं से शिक्षकों एवं छात्रावास अधीक्षक निरंतर संवाद करें, कोई समस्या बताए जाने पर उनका तत्काल निराकरण करने का दायित्व संस्था प्रमुख का होगा. छात्रावासों में अन्य बाहरी छात्र-छात्राओं एवं अपरिचित व्यक्तियों के प्रवेश प्रतिबंधित किया जाये। छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों के अतिरिक्त अन्य आने जाने वालो का एक रजिस्टर में रिकार्ड रखा जाये।

कार्डियक अरेस्ट से 11 वर्षीय छात्रा की मौत

खेलते-खेलते बुझ गई मासूम की जिंदगी

इंदौर. खेलकूद और हंसी-खुशी के बीच अचानक आई एक त्रासदी ने पूरे परिवार को गहरे गम में डुबो दिया. बेटमा के ईरा एकेडमी स्कूल की 6वीं कक्षा की छात्रा 11 वर्षीय लक्षिता पटेल की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई. मासूम की चहकती जिंदगी चंद पलों में थम गई. मामले में पुलिस जांच कर रही है.

स्कूल परिसर में सहेलियों संग खेल रही लक्षिता को अचानक थकान महसूस हुई. वह जमीन पर बैठी और देखते ही देखते बेहोश होकर गिर पड़ी. साथी छात्राओं ने शिक्षकों को सूचना दी तो खेल शिक्षक उसे तत्काल बेटमा अस्पताल ले गए, वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने स्थिति गंभीर देखते हुए उसे इंदौर के चोइथराम अस्पताल रेफर कर दिया. करीब दोपहर तीन बजे उसे चोइथराम लाया गया, जहां जांच में कार्डियक अरेस्ट सामने आया. डॉक्टरों ने दो घंटे तक जीवन बचाने की कोशिश की, लेकिन शाम पांच बजे मासूम ने दम तोड़ दिया. जिला अस्पताल में पोस्टमॉर्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा दिया. पुलिस ने बताया कि लक्षिता के पिता निजी कंपनी में नौकरी करते हैं, जबकि बड़ा भाई बिजलपुर में मामा के घर रहकर पढ़ाई करता है. अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार और स्कूल स्टाफ को गहरे सदमे में डाल दिया.

268 चालान बनाए, नाबालिग ट्रैक्टर चलाते पकड़ा

नव भारत न्यूज

इंदौर. यातायात पुलिस ने मुख्यालय से मिले निर्देशों के तहत विशेष चेकिंग अभियान चलाकर दिनभर में 268 चालान बनाए. इस दौरान एक 13 वर्षीय नाबालिग को बायपास पर ट्रैक्टर दौड़ाते पकड़ा गया, वहीं कई शराबी वाहन चालक भी पुलिस की जद में आए. यह अभियान 22 सितंबर तक लगातार चलाया जाएगा. कार्रवाई में सबसे ज्यादा चालान बिना हेलमेट चलने वालों के बने. पुलिस के अनुसार 164 चालान बिना हेलमेट, 42 बिना सीट बेल्ट, 36 गलत दिशा में वाहन चलाने, 9 ओवरलोडिंग, 6-6 शराब पीकर व मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चलाने, 3 बिना लाइसेंस और 1 बिना फिटनेस वाहन का बनाया. नाबालिग द्वारा ट्रैक्टर चलाने पर 8 हजार रुपए का चालान काटा गया. एसीपी यातायात जोन-3 हिंदू सिंह मुवेल ने बताया कि अभियान के दौरान ई-रिक्शा की भी कड़ी जांच की गई. कई चालक बीच सड़क पर वाहन रोककर सवारियां बैठा रहे थे, जिन पर कार्रवाई की गई और कुछ को चेतावनी देकर छोड़ा गया. मुवेल ने बताया कि आज से यातायात पुलिस सड़कों पर जागरूकता अभियान भी शुरू करेगी. इसमें राहवीर योजना, हिट एंड रन पीड़ित प्रतिकर योजना और कैशलेस योजना की जानकारी पंपलेट बांटकर नागरिकों तक पहुंचाई जाएगी.

जैन सिद्धांतों की गौरवशाली धरोहरों पर हमें गर्व होना चाहिए : विश्वरत्न सागर

इंदौर. जिनशासन के पास दुनियाभर में अनेक तीर्थ स्थल और पौराणिक धरोहर हैं, जो जैन सिद्धांतों की गौरवशाली धरोहर को अपने आप में समेटे हुए हैं. जितने तीर्थ स्थल हैं, सबके इतिहास इतने उजले और महत्वपूर्ण हैं कि आज भी दुनियाभर के लोग उनसे प्रेरणा ले रहे हैं.

भामाशाह जैसे अनेक धन्नासेठों ने खुले हाथों से दान देकर इन तीर्थ स्थलों का निर्माण कराया हैय हम सबके लिए यह गौरव और गर्व का विषय होना चाहिए कि जिन शासन ने सत्य, अहिंसा, अरपरिग्रह और संयम- साधना के पथ पर चलने का संदेश देकर समूची मानवता का मार्गदर्शन किया है, आज भी कर रहे हैं और भविष्य में भी युगों-युगों तक करते रहेंगे. ये विचार हैं युवा हृदय सम्राट जैनाचार्य विश्वरत्न सागर के, जो उन्होंने बुधवार को अर्बुद गिरिराज जैन श्वेताम्बर तपागच्छ उपाश्रय ट्रस्ट पीपली बाजार, जैन श्वेताम्बर मालवा महासंघ एवं नवरत्न परिवार इंदौर के संयुक्त तत्वावधान में पीपली बाजार स्थित उपाश्रय पर चल रहे चातुर्मास के दौरान व्यक्त किए. पीपली बाजार उपाश्रय पर प्रतिदिन सुबह 8.45 बजे से यह भाव यात्रा प्रारंभ होती है, जिसमें बड़ी संख्या में समाज के श्रावक-श्राविकाएं शामिल हो रहे हैं. बुधवार को आयोजित भाव यात्रा में आचार्यश्री के साथ प.पू. गणिवर्य कीर्तिरत्न सागर म.सा. एवं मुनि प्रवर उत्तमरत्न सागर म.सा. ने भी नागेश्वर पार्श्वनाथ महातीर्थ के साथ श्री नाडोल तीर्थ, नाडलाई तीर्थ, अनेक प्रेरक और दिलचस्प प्रसंग बताए.

प्रतिदिन भावयात्रा का आयोजन

चातुर्मास आयोजन समिति की ओर से संयोजक पुण्यपाल सुराना, कैलाश नाहर, मनीष सुराना, ललित सी. जैन, प्रीतेश ओस्तवाल, दिलीप मंडोवरा, दिलसुखराज कटारिया आदि ने बहुमान किया. श्रावक-श्राविकाओं की अगवानी शैलेन्द्र नाहर, अंकित मारू, रीतिश आशीष जैन, चंद्रप्रकाश चौरडिया, मोनिश खूबाजी एवं ऋषभ कोचर ने की. पीपली बाजार उपाश्रय पर प्रतिदिन सुबह 8 .45 बजे से भाव यात्रा का आयोजन किया जा रहा है.

दो पिस्टल के साथ पकड़ाए

इंदबर. कनाड़िया पुलिस ने तड़के बायपास रोड पर चेकिंग के दौरान दो व्यक्तियों को अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया. दोनों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस की यह कार्रवाई प्राइड होटल के सामने की गई. यहां ग्राम सागौर, पिथमपुर निवासी फारुख खान की तलाशी लेने पर उसकी कमर से मेड इन यूएसए लिखी पिस्टल मिली, जिसमें मैग्जीन और 2 जिंदा कारतूस भरे थे. पिस्टल के बट पर ब्राउन कलर की लकड़ी लगी हुई थी. इसी तरह, उसके साथ मौजूद गुड्डूलाल गुर्जर, निवासी ग्राम सागौर कुटी, तहसील पिथमपुर की कमर से भी एक पिस्टल मय मैग्जीन और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए.

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

(CIN-L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +91 44 4564 4000, फैक्स : +91 44 4564 4022

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) से नीचे उल्लिखित सुरक्षित ऋण प्राप्त किए हैं. नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सह-उधारकर्ताओं के ऋण उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किए गए हैं. चूंकि वे संबंधित ऋण समझौतों की शर्तों का पालन करने में विफल रहे हैं और अनियमित हो गए हैं, इसलिए उनके ऋण को आरबीआई दिशा-निर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है. आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को उनके द्वारा देय राशि का उल्लेख संबंधित नोटिस के अनुसार किया गया है, जो विशेष रूप से निम्नलिखित तालिका में वर्णित है और उक्त राशियों पर आगे ब्याज भी लागू होगा और उसी पर संबंधित तिथियों से अनुबंध दर के अनुसार शुल्क लिया जाएगा.

क्र. सं.	लोन एकाउंट नं.	लोन का प्रकार	सेक्शन 13 (2) नोटिस तिथि	सेक्शन 13 (2) नोटिस अनुसार बकाया राशि
1.	107188025	होम लोन	30 .08 .2025	रु. 6,75,034 .36/-

देनदार और सह-देनदारों का नाम :- 1. मन्नू सिंह 2. सपना बाई

संपत्ति का पता : मकान संख्या 65 का वह पूरा टुकड़ा, माप 34×40= 1360 वर्ग फुट या 126 .39 वर्ग मीटर, पीएच संख्या 61, भूमि सर्वेक्षण संख्या 180, ग्राम- मालाखेड़ी, ग्राम पंचायत- मालाखेड़ी, तहसील- खाचरोद, जिला- उज्जैन, मध्य प्रदेश-456313, और सीमा- पूर्व- सड़क, पश्चिम- आबादी भूमि, उत्तर- हरि सिंह का मकान, दक्षिण- राधेश्याम का मकान.

आपको उपरोक्त तालिका में दर्शाए गए विवरण के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को संबंधित तिथियों से अनुबंधित ब्याज दर तथा अन्य लागत, प्रभार आदि के साथ इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा नीचे हस्ताक्षरकर्ता को आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) को देय राशि वसूलने के लिए ऊपर उल्लिखित बंधक संपत्तियों के विरुद्ध एसएआरएफएईएसआई अधिनियम की धारा 13 (4) तथा धारा 14 के अंतर्गत कार्यवाही आरंभ करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित तथा वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है). इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13 (13) के तहत बिक्री / पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है.

एसडी/-
प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में जाना जाता है)

दिनांक : 11.9.2025
स्थान : उज्जैन

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

कॉर्पोरेट ऑफ : 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
रजि. ऑफिस : कॉमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई-600116, टीएन

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 पढ़ें सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ

एतद् द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी(कों) और गारंटर(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध अचल संपत्तियाँ ('सुरक्षित संपत्तियाँ'), जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी/प्रभारित हैं, जिनका कब्ज़ा SMFG इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे SMHFC कहा जाएगा) ('सुरक्षित ऋणदाता') के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर 'जहाँ है जैसी है', 'जो है जैसी है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जाएंगी, ताकि नीचे उल्लिखित बकाया राशि और वसूली की तिथि तक उस पर ब्याज और अन्य व्यय वसूल किए जा सकें, जो SMHFC सुरक्षित ऋणदाता को नीचे उल्लिखित ऋणी(कों) और गारंटर(कों) से देय हैं.

क्र.	उधारकर्ता/गारंटर(ओं) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण	रिजर्व मूल्य (रु.) / अर्नेस्ट मनी जमा (रु.)	ई नीलामी तिथि की तिथि	ईएमडी जमा तिथि
01	लैन नं.- 601639210990149 1. पीयूष शर्मा 2. हिमानी कुशवंशी	गंगा निकेतन कॉलोनी, जिला देवास, मध्य प्रदेश में प्लॉट संख्या 26 का पूरा टुकड़ा, प्रशासन 1040 वर्ग फुट अर्थात 96 .62 वर्ग मीटर. सीमा- पूर्व - कॉलोनी की दीवार, पश्चिम - कॉलोनी रोड, उत्तर - प्लॉट संख्या 25, दक्षिण - प्लॉट संख्या 27 से घिरा हुआ.	रु. 26,80,000/- / रु. 2,68,000/-	13 .10 .2025 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	11 .10 .2025
02	लैन नं.- 619639211671579 1. पुष्पेंद्र कुमार तिवारी 2. लवली तिवारी	प्लॉट संख्या 30 का पूरा टुकड़ा, भूमि सर्वेक्षण संख्या 82/2/2, पाकी, वार्ड संख्या 29 सहित, ग्राम मंडलवाड़ा रोड से अंदर, पीएच नंबर 117, तहसील पीथमपुर, जिला धार, मध्य प्रदेश में स्थित. प्रशासन 600 वर्ग फुट अर्थात 55 .742 वर्ग मीटर. सीमा- पूर्व में - रोड, पश्चिम में - प्लॉट संख्या 24, उत्तर में - प्लॉट संख्या 31, दक्षिण में - प्लॉट संख्या 29.	रु. 6,80,000/- / रु. 68,000/-	13 .10 .2025 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	11 .10 .2025
03	लैन नं.- 601739211373367 1. युवराज कुमार जैन 2. श्रीमती सुशीला जैन	मैत्री निकुंज कॉलोनी, पंवासा मक्सी रोड, तहसील एवं जिला उज्जैन, मध्य प्रदेश 456001, प्रशासनिक क्षेत्र 167 .07 वर्ग मीटर, सीमा- पूर्व में- कॉलोनी रोड, पश्चिम में - खुली भूमि, उत्तर में - प्लॉट संख्या 14, दक्षिण में - प्लॉट संख्या 12.	रु. 42,20,000/- / रु. 4,22,000/-	13 .10 .2025 सुबह 11.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक	11 .10 .2025

बिक्री के नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं और विवरण हमारी/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक वेबसाइट पते (https://BidDeal.in और https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf) पर भी दिए गए हैं. इच्छुक बोलीदाता विनय राठौर से उनके मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं- नंबर 9827121084, ई-मेल : vinay.rathour@grihashakti.com और श्री निलॉय डे मोबाइल नं. 9920697801 ई मेल- Niloy.Dey@grihashakti.com.

स्थान : देवास, धार, उज्जैन, मध्यप्रदेश
दिनांक : 10.9.2025

एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

कॉर्पोरेट ऑफ : 503 और 504, 5वीं मंजिल, जी-ब्लॉक, इंसिप्रे बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051
रजि. ऑफिस : कॉमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल नंबर 111, माउंट पूनमल्ली रोड, पोरुर, चेन्नई-600116, टीएन

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए 15 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना, वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 पढ़ें सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के प्रावधान के साथ

एतद् द्वारा आम जनता और विशेष रूप से ऋणी(कों) और गारंटर(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे सूचीबद्ध अचल संपत्तियाँ ('सुरक्षित संपत्तियाँ'), जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी/प्रभारित हैं, जिनका कब्ज़ा SMFG इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (जिसे आगे SMHFC कहा जाएगा) ('सुरक्षित ऋणदाता') के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, नीचे उल्लिखित तिथि और समय पर 'जहाँ है जैसी है', 'जो है जैसी है' और 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेची जाएंगी, ताकि नीचे उल्लिखित बकाया राशि और वसूली की तिथि तक उस पर ब्याज और अन्य व्यय वसूल किए जा सकें, जो SMHFC सुरक्षित ऋणदाता को नीचे उल्लिखित ऋणी(कों) और गारंटर(कों) से देय हैं.

क्र.	उधारकर्ता/गारंटर(ओं) का नाम लैन	सुरक्षित संपत्तियों का विवरण	रिजर्व मूल्य (रु.) / अर्नेस्ट मनी जमा (रु.)	ई नीलामी तिथि की तिथि	ईएमडी जमा तिथि
01	लैन नं.- 601607510272172 1. सगीर अली कुरैशी 2. कौसर कुरैशी 3. रॉयल मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स	रेजीडेंसी कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर फ्लैट संख्या 40 का वह हिस्सा, प्लॉट संख्या 48, हनमंत स्कीम संख्या 31, इंदौर, मध्य प्रदेश में स्थित है. क्षेत्रफल 600 वर्ग फुट है. सीमाएं- उत्तर - सीढ़ियाँ, पूर्व - सड़क, दक्षिण - फ्लैट संख्या 41, पश्चिम - नाला.	रु. 3,80,000/- / रु. 38,000/-	26.9.2025 11.00 a.m से 01.00 pm	25.9.2025

बिक्री के नियम और शर्तें नीचे दी गई हैं और विवरण हमारी/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक वेबसाइट पते (https://BidDeal.in और https://www.grihashakti.com/pdf/E-Auction.pdf) पर भी दिए गए हैं. इच्छुक बोलीदाता विनय राठौर से उनके मोबाइल पर भी संपर्क कर सकते हैं- नंबर 9827121084, ई-मेल : vinay.rathour@grihashakti.com और श्री निलॉय डे मोबाइल नं. 9920697801 ई मेल- Niloy.Dey@grihashakti.com.

स्थान : इन्दौर, मध्य प्रदेश
दिनांक : 10.9.2025

एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कं. लिमिटेड

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में केपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के संग एकीकृत)

(CIN: L65110TN2014PLC097792)

रजिस्टर्ड ऑफिस : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हेरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई-600031

फोन : +91 44 4564 4000, फैक्स : +91 44 4564 4022

परिशिष्ट IV [नियम 8(1)] कब्जे का नोटिस

(अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 3] के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋणी/सह-ऋणी तथा गारंटर को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अन्दर नीचे संलग्न डिमांड नोटिस में उल्लिखित राशि को डिमांड नोटिस की तिथि से भुगतान/प्राप्ति तक ब्याज तथा अन्य शुल्कों सहित चुकाने के लिए आह्वान करते हुए मांग नोटिस जारी किया है.

ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर द्वारा राशि वापस न किए जाने के कारण, ऋणी/सह-ऋणी/गारंटर और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे इस सूचना पर प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ा जाए, नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा ले लिया है.

लोन खाता नंबर	देनदार/सह-देनदार और गारंटर्स का नाम	गिरवी रखी संपत्ति का विवरण	डिमांड नोटिस तिथि	डिमांड नोटिस कुल बकाया राशि	तिथि और कब्जे का प्रकार
77860687	1. जगदीश चौहान 2. सुमित्रा चौहान	मकान संख्या 108 का वह पूरा टुकड़ा, कुल क्षेत्रफल 2200 वर्ग फुट, भूमि सर्वेक्षण संख्या 430, ग्राम-गुड़भेली, पीएच नंबर 34, वार्ड संख्या 19, तहसील- ताल, जिला- रतलाम, मध्य प्रदेश-457118 पर स्थित है और इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- पूर्व- रोड, पश्चिम- रोड, उत्तर- श्रवण की संपत्ति, दक्षिण- श्यामलाल की संपत्ति	11.10.2024	रुपए 4,95,373.37	8-9-2025 भौतिक कब्जा
108137110	1. मुस्कान परिहार 2. कैलाश कुमार 3. टैल्गो इंडस्ट्रीज	आवासीय फ्लैट संख्या 314 का वह पूरा टुकड़ा, लगभग 57.14 वर्गमीटर का निर्मित क्षेत्रफल (615 वर्ग फीट), तीसरी मंजिल, आवासीय कॉलोनी का 'हाई स्ट्रीट अपार्टमेंट' जिसे 'ओमैक्स सिटी-2 मांगलिया' के नाम से जाना जाता है, गांव मांगलिया सड़क, तहसील- सांवेर, जिला- इंदौर, मध्य प्रदेश-453771 में स्थित है, और इसकी सीमा इस प्रकार है- पूर्व- फ्लैट संख्या 312 ए, पश्चिम- फ्लैट संख्या 315, उत्तर- गलियारा, दक्षिण- खुला स्थान.	21.6.2025	रुपए 12,06,481.71	9-9-2025 कब्जा

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर तथा आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित) के प्रभार के अधीन होगा, जो मांग नोटिस में उल्लिखित राशि के साथ-साथ मांग नोटिस की तिथि से भुगतान/वसूली तक ब्याज तथा अन्य शुल्कों के रूप में होगा.

प्राधिकृत अधिकारी
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड
(पूर्ववर्ती कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड तथा आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ समामेलित)

दिनांक : 8 और 9-9-2025
स्थान : मध्यप्रदेश